संख्या-42/ 2018/782/24-1-2018-95/2015

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्धक निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2018**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु पुनर्विनियोग के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-430/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0-2/आय-व्ययक/299/ 2017-18 टी0सी0, दिनांक 24 मार्च 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु उ0प्र0 निगम में अंशपूँजी विनियोजन के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06- ग्रामीण विद्युतीकरण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- 03- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के0-100,90 प्रतिशत अनुदान + 10 प्रतिशत ऋण- 30- निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 3735,19,58,000/- (रूपये सैंतीस सौ पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से धनराशि रूपये 186,31,40,000/- (रूपये एक सौ छियासी करोड़ इकत्तीस लाख चालिस हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06- ग्रामीण विद्युतीकरण- 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- 06- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी- 30- निवेश/ऋण में समायोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण नकद न कर पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -06-ग्रामीण विद्युतीकरण 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूँजी - 30- निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को लेखाशीर्षक 0801- बिजली -06- ग्रामीण विद्युतीकरण - 800- अन्य प्राप्तियॉ -01- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अंशपूँजी हेतु भारत सरकार से प्राप्ति के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 61 /दस-2018, दिनांक 28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2018/782(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in